

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0-01/स्था0-25-02/2023-

277

पटना, दिनांक- 08.7.25

कार्यालय आदेश

श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को जल संसाधन विभाग के अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किया जाता है। श्री सिंह की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	अधिवक्ता का नाम	पता	मोबाईल नं०	ईमेल
1	2	4	5	6
1	श्री अंशुमन सिंह	नॉर्थ ब्लॉक, फ्लैट नं०-202, उदईगिरी अपार्टमेन्ट, बुद्ध मार्ग, पटना-800001, बिहार	9771498770	Anshuman.singh@ gmail.com

2. तथ्य अभिकथन तैयार करने हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3882 दिनांक-03.05.2023 द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। जिसके अनुसार प्रत्येक तथ्य अभिकथन तैयार करने हेतु अधिकतम रू० 2000/- एवं प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित करने हेतु अधिकतम रू० 500/- देय होगा। वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा यदि दर में संशोधन होता है तो संशोधित दर पर पारिश्रमिक भुगतान होगा।

3. पैनल में शामिल अधिवक्ताओं को विभाग में बैठकर संबंधित पदाधिकारियों से आवश्यक विमर्शोपरान्त तथ्य अभिकथन तैयार करना होगा।

4. पैनल में शामिल अधिवक्ता का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उनका नाम पैनल से हटाने हेतु विभाग के पास अधिकार सुरक्षित होगा।

5. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(संजय प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-01/स्था0-25-02/2023-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/पता-नॉर्थ ब्लॉक, फ्लैट नं०-202, उदईगिरी अपार्टमेन्ट, बुद्ध मार्ग, पटना-800001, बिहार, मो०नं०-9771498770 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-01/स्था0-25-02/2023-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन एवं अभियंत्रण सहित)/सभी मुख्य अभियंता/सभी निदेशक/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित)/विधि पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-01/स्था0-25-02/2023-

पटना, दिनांक- 08.7.25

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता आई0टी0, WRD IT Centre एवं आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव